आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ. 7(4) प्रवेश नीति (सामान्य)/अकाद/आकाशि/2024-15787

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– प्रवेश नीति 2024–25 के बिन्दु संख्या 2.2.2 में शिथिलता प्रदान करने के क्रम में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिन राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट प्रथम में 20 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं और मेरिट लिस्ट जारी की गयी किन्तु मेरिट लिस्ट जारी करने के पश्चात फीस जमा कराने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम है **अथवा** जिन राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट प्रथम में कुल आवेदन ही 20 से कम प्राप्त हुये हैं और मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गयी है, ऐसे समस्त राजकीय महाविद्यालयों में **प्रवेश नीति सत्र 2024–25 के बिन्दु संख्या 2.2.2 में शिथिलता प्रदान करते हुए न्यूनतम प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को 20 के स्थान पर 10 किया जाता है** तथा ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन भरने वाले प्रवेशार्थियों से ऑफलाईन प्रवेश शुल्क जमा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ऑफलाईन प्रवेश शुल्क जमा करवाने वाले विद्यार्थियों का **शुल्क का डाटा 13 नवम्बर 2024 तक** ऑनलाईन इन्द्राज करवाना सुनिश्चित करें।

प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण कार्य वर्तमान सत्र 2024–25 के लिए स्थगित रहेगा तथा 10 से कम प्रविष्ट प्रवेशार्थी रहने पर विद्यार्थियों द्वारा अनुरोध करने पर उसी महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रम में या उसी पाठ्यक्रम में अन्यत्र महाविद्यालय में स्थान रिक्त हों तो स्थानान्तरित किया जा सकता है अन्यथा उनका शुल्क लौटाया जाना सुनिश्चित करें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया में हुये विलम्ब के कारण शिक्षण कार्य में आये व्यवधान से कार्य दिवसों की क्षतिपूर्ति के लिए प्राचार्य अपने स्तर पर अतिरिक्त कक्षाऐं लगवाकर अकादमिक सत्र में शैक्षणिक कार्य दिवस पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(प्रो. विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, महोदय उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।.
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव प्रथम उच्च शिक्षा (ग्रुप–3), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. नोडल अधिकारी, ऑनलाईन प्रवेश, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
7. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(प्रो. विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

Signature valid

Digitally signed by Vijay Singh Jat
Designation : Joint Director
Date: 2024.11.05 17:35:14 IST
Reason: Approved

General Letter Admission